रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022024-251991
CG-DL-E-10022024-251991

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2024/माघ 20, 1945
No. 92] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2024/MAGHA 20, 1945

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2024

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) (संशोधन) विनियम, 2023

सं. पीएफआरडीए/16/04/06/0016/2017-आरइजी-टीबी.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) के खंड(ङ), खंड(ठ), खंड(ढ), खंड(ण) और खंड(त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :-

1. इन विनियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) (संशोधन) विनियम 2023, कहा जाएगा।

2. ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

3. समय-समय पर संशोधित, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम 2015, (इसके बाद 'मुख्य विनियम' के रूप में संदर्भित), में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :-

I. मुख्य विनियमों के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,

i. खंड (क) के तत्काल बाद नई परिभाषा खंड (कक) को अंत: स्थापित किया जाएगा, जो इस प्रकार है:

"(कक) "अंकेक्षक" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के तहत परिभाषित है और इसमें सिस्टम अंकेक्षक भी शामिल है।

स्पष्टीकरण.– सिस्टम अंकेक्षक का अर्थ है भारत सरकार के सीईआरटी-इन या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के साथ सूचीबद्ध अंकेक्षक;"

ii. खंड (ग) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(ग) "अनुपालन अधिकारी" से अभिप्राय न्यासी बैंक के उस कर्मचारी से है, जिसे उसके बोर्ड द्वारा अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, निर्देशों और प्राधिकरण द्वारा जारी विनिर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए नामित किया गया है;"

II. मुख्य विनियमों के विनियम 2 के उप-विनियम (2) को हटा दिया जाएगा;

III. मुख्य विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (2) को हटा दिया जाएगा;

IV. मुख्य विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (5) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(5) आवेदक को प्राधिकरण को अपने आवेदन के साथ दस लाख रुपये का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क और उस पर लागू कर और लेवी का भुगतान करना होगा।"

V. मुख्य विनियमों के विनियम 5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"**5. सूचना का प्रकटन.**– आवेदक आवेदन के लंबित रहने के दौरान दी गई सूचना में किसी भी प्रकार के वस्तुगत परिवर्तन के घटित होने के सात दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।"

VI. मुख्य विनियमों के विनियम 6 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"**6. सूचना और स्पष्टीकरण का दिया जाना.**– (1) प्राधिकरण आवेदक से उसके आवेदन पर विचार करने के लिए अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण देने की मांग कर सकता है।"

VII. मुख्य विनियमों के विनियम 7 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"**7. सूचना का सत्यापन.**– (1) आवेदन को संसाधित करते समय, प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य करेगा,–

(क) दस्तावेजों को सत्यापित करना, अवसंरचना का निरीक्षण करना और तकनीकी क्षमताओं सहित संसाधनों का निरीक्षण करना, जिसे आवेदक को पूरा करना आवश्यक है; और

(ख) किसी भी एजेंसी से रिपोर्ट मांगना जिसका आवेदन पर असर हो सकता है।"

VIII. मुख्य विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (3) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(3) किसी आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, प्राधिकरण आवेदक को प्राधिकरण की इस तरह की नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर आवेदन में दोषों को सुधारने के लिए नोटिस देगा।

परंतु जहां प्राधिकरण प्रथम दृष्टया यह राय रखता है कि पंजीकरण नहीं दिया जाना चाहिए, वहां ऐसी राय बनाने के कारणों को संप्रेषित करेगा और आवेदक को प्राधिकरण से संसूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर यह बताने का अवसर भी दिया जाएगा कि उसका आवेदन क्यों स्वीकार किया जाना चाहिए, ताकि प्राधिकरण अंतिम राय बनाने में सक्षम हो सके।

परंतु जहां किसी आवेदन को गलत, झूठ या भ्रामक प्रकृति के आधार पर खारिज कर दिया गया है या वह महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करने से चूक गया है, वहाँ पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए किसी नए आवेदन पर ऐसे अस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए विचार नहीं किया जाएगा।"

IX. मुख्य विनियमों के विनियम 9 के उप-विनियम (3) के खंड (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(क) जहां न्यासी बैंक अपनी प्रास्थिति या गठन को बदलने का प्रस्ताव रखता है, उसे प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

स्पष्टीकरण.– प्रास्थिति या गठन में परिवर्तन में निम्नलिखित शामिल होंगे,–

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 13) के प्रावधानों के तहत समामेलन, अविलयन, समेकन या किसी अन्य प्रकार के निगमित पुनर्गठन का या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का प्रावधान या ऐसा कोई समझौता या व्यवस्था जो ऐसे निगमित पुनर्गठन पर प्रभाव डालेगा।

(ii) न्यासी बैंक के नियंत्रण में कोई परिवर्तन ।

स्पष्टीकरण.– नियंत्रण का अर्थ है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(27) के तहत परिभाषित; और

(iii) न्यासी बैंक की कानूनी स्थिति में कोई परिवर्तन;"

X. मुख्य विनियमों के विनियम 9 के उप-विनियम (3) के खंड (घ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(घ) यह हर समय इन विनियमों में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों और चयन प्रक्रिया के तहत निर्धारित अन्य आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

इस प्रयोजन के लिए, न्यासी बैंक पात्रता शर्तों के साथ अनुपालन को दर्शाता हुआ एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। ऐसा प्रमाणपत्र उसके बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसकी टिप्पणियां, यदि कोई हों, उस पर स्पष्टीकरण के साथ, प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से साठ दिनों के भीतर या उसके पंजीकरण के कार्यकाल की समाप्ति के साठ दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा;"

XI. मुख्य विनियमों के विनियम 11 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"**11. पंजीकरण शुल्क.**– आवेदक को प्राधिकरण को पच्चीस लाख रुपये का अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क और उस पर लागू कर और लेवी का भुगतान करना होगा।"

XII. मुख्य विनियमों के विनियम 12 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"**12. वार्षिक शुल्क.**– न्यासी बैंक नियत तिथि से पहले तिमाही आधार पर वार्षिक शुल्क और उस पर लागू कर और लेवी का भुगतान करेगा, जो बोली लगाने की प्रक्रिया के माध्यम से या ऐसे अन्य रीति से निर्धारित किया जाएगा जो चयन प्रक्रिया के समय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी।"

XIII. नए उप-विनियम (1क) को मुख्य विनियमों के विनियम 13 के उप-विनियम (1) के तत्काल बाद निम्नानुसार अंत: स्थापित किया जाएगा:

"(1क) प्राधिकरण पंजीकरण हेतु, प्राधिकरण के साथ पंजीकृत न्यासी बैंक के कार्यकाल की समाप्ति के नब्बे दिन या ऐसी अन्य समय अवधि से पहले आवेदन आमंत्रित कर सकता है।"

XIV. मुख्य विनियमों के विनियम 14 को हटा दिया जाएगा;

XV. मुख्य विनियमों के विनियम 16 के उप-विनियम (9) के तत्काल बाद नया उप-विनियम (9क) अंत: स्थापित किया जाएगा:

"(9क) न्यासी बैंक द्वारा सेवा स्तर समझौते या प्राधिकरण द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देशों के तहत प्रदान किए गए सेवा मानकों का पालन करने में विफल होने की स्थिति में, जिसमें अभिदाता को होने वाली कोई हानि या हुई असुविधा के लिए न्यासी बैंक सेवा स्तर समझौते या प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अभिदाता को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी होगा।

परंतु अभिदाता की ओर से किसी हानि या असुविधा को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।"

XVI. मुख्य विनियमों के विनियम 16 के उप-विनियम (11) के तत्काल बाद नया उप-विनियमन (12) अंत: स्थापित किया जाएगा:

"(12) न्यासी बैंक धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए आवश्यक सभी उपाय करेगा और धोखाधड़ी की रोकथाम और शमन नीति को विकसित और कार्यान्वित करेगा जो कि प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे,–

(क) आंतरिक नियंत्रण को संस्थापित करना और उनका पालन करना और यह सुनिश्चित करना कि ऐसे नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी रूप से संचालित हो; और

(ख) न्यासी बैंक की ओर से धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण किसी भी प्रमाणित नुकसान के लिए अभिदाता को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान करना।

स्पष्टीकरण.– इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, 'आंतरिक नियंत्रण' शब्द से आशय न्यासी बैंक द्वारा अपने कार्यों के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं से है जिसमें धोखाधड़ी और त्रुटियों को पता लगाने

और उनकी रोकथाम, अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय अनुपालन रिपोर्ट को समय पर तैयार कर प्रस्तुत करना शामिल है।"

XVII. मुख्य विनियमों के विनियम 19 के उप-विनियमन (1) के खंड (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(क) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के बैंक खातों, अनुपालन प्रमाणपत्रों और अभिदाता की शिकायतों की रिपोर्ट के संबंध में तिमाही आधार पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों से प्राप्त आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के उद्धरण;"

XVIII. मुख्य विनियमों के विनियम 20 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"**20. निरीक्षण और अंकेक्षण.**– (1) प्राधिकरण नियमित अंतराल पर न्यासी बैंक का निरीक्षण करेगा जैसे कि वह उचित समझे।

उपर्युक्त के होते हुए भी, किसी भी समय जैसे कि वह उचित समझे, इस विनियम के तहत निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सीधे या एक अंकेक्षक या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से न्यासी बैंक के खाता बहियों, खातों और अभिलेखों, कॉल अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण या अंकेक्षण कर सकता है।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों में शामिल हो सकते हैं,–

(क) मूल संरचनात्मक क्षमताओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि इन विनियमों के तहत अपेक्षित तरीके से लेखा पुस्तकों, अभिलेखों, कॉल अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा जा रहा है;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि क्या पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय स्थापित किए गए हैं और न्यासी बैंक द्वारा उनका पालन किया जा रहा है;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि क्या अधिनियम के प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों या प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों, परिपत्रों, निर्देशों और विनिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है;

(ङ) अभिदाताओं, नोडल कार्यालयों, मध्यस्थों या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त ऐसी किसी भी शिकायतों की जांच करना जो कि न्यासी बैंक की गतिविधियों से संबंधित है; और

(च) अभिदाताओं के हित में उचित समझे जाने वाले मामलों पर स्वत: संज्ञान लेना।"

XIX. मुख्य विनियमों के विनियम 23 के उप-विनियम (2) के बाद नया उप-विनियम (3) अंत: स्थापित किया जाएगा:

"(3) निरीक्षण या अंकेक्षण के दौरान प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट या ऐसे व्यक्ति द्वारा संगृहीत किसी भी दस्तावेज या सूचना प्राधिकरण के समक्ष किसी भी अन्वेषण या जांच या किसी अन्य कार्यवाही में स्वीकार्य होगी।"

XX. मुख्य विनियमों के विनियम 26 के उप-विनियम (1) के खंड (झ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(झ) कोई अन्य कारण जो प्राधिकरण की राय में प्रदत्त पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्दकरण का अधिकार देता है;"

XXI. मुख्य विनियमों के विनियम 26 के उप-विनियम (3) को हटा दिया जाएगा;

XXII. मुख्य विनियमों के विनियम 27 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"**27. पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण.**– (1) न्यासी बैंक प्राधिकरण को अनुरोध करके अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण कर सकता है।

(2) ऐसे अनुरोध पर विचार करने के लिए, प्राधिकरण न्यासी बैंक से निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की अपेक्षा कर सकता है,–

(क) अभिदाताओं को सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, अधिनियम, विनियमों दिशानिर्देशों और परिपत्रों के तहत बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों के रखरखाव और संरक्षण के लिए इसकी अपनी लागत और व्यय पर व्यवस्था करना;

(ख) चूक और लंबित कार्रवाइयों, यदि कोई हो, को सुधारना;

(ग) अभिदाता शिकायतों का निवारण; और

(घ) अभिदाताओं के हित में कोई अन्य उपाय करना।

(3) अभ्यर्पण के अनुरोध पर विचार करते समय, प्राधिकरण न्यासी बैंक पर ऐसी शर्तें लगा सकता है जो वह अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए उचित समझे।

(4) ऐसे न्यासी बैंक से अभ्यर्पण के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा जिसके संबंध में कोई अन्वेषण, जांच या अधिनिर्णयन शुरू किया गया है या प्राधिकरण द्वारा विचार किया जा रहा है।

(5) किसी भी अभ्यर्पण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि प्राधिकरण संतुष्ट न हो जाए कि न्यासी बैंक ने उप-विनियम (2) के तहत आवश्यकताओं और उप-विनियम (3) के तहत अन्य शर्तों, यदि कोई हो, का अनुपालन किया है या उनके अनुपालन के लिए कदम उठाए हैं।

(6) जब भी प्राधिकरण अभ्यर्पण के अनुरोध को स्वीकार करेगा, तत्क्षण न्यासी बैंक को दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर देगा और न्यासी बैंक को सात दिनों के भीतर सूचित करेगा और ऐसी सूचना को अपनी वेबसाइट पर डाल देगा और संस्था को ऐसे सूचना अपनी वेबसाइट पर डालने का और आवश्यक तरीके से सूचना का प्रसार करने का भी निर्देश देगा।"

XXIII. मुख्य विनियमों के विनियम 28 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"**28. प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्दकरण का प्रभाव.**– (1) पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन की तिथि से, न्यासी बैंक, जैसा कि निर्देशित हो,–

(क) अधिनियम के अंतर्गत पेंशन योजनाओं के तहत, जैसा भी मामला हो, नया कारोबार करना बंद कर देगा;

(ख) न्यासी बैंक की अभिरक्षा या नियंत्रण में होने वाली आस्तियों, अभिलेखों, दस्तावेजों या सूचना के संबंध में ऐसी कार्रवाई करेंगा, जो समय-सीमा के भीतर और उस रीति से जो सुसंगत विनियमों के अधीन अपेक्षित हो या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित की गई हो;

(ग) अपनी लागत पर ऐसी आस्तियां, अभिलेख, दस्तावेज या सूचना जो उसकी अभिरक्षा में हैं या किसी अन्य न्यासी बैंक को उस रूप और रीति से, जो प्राधिकरण द्वारा निर्देशित की जाए, अंतरित करेगा;

(घ) न्यासी बैंक अपनी लागत और व्यय पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा आवश्यक होने पर अपने प्रबंधन के तहत सभी आस्तियों के सुचारू अंतरण को सुनिश्चित करने में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा, और ऐसी सार्वजनिक घोषणा या प्रकटीकरण करेगा जो अभिदाता के हित के लिए ऐसी आस्तियों के अंतरण के संबंध में सहायक हो। यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रासंगिक दस्तावेजों, अभिलेख या सूचना का अंतरण प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएं;

(ङ) ऐसी आस्तियों का अंतरण प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों या विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा; और

(च) न्यासी बैंक तब तक प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन रहेगा जब तक कि ऐसे सभी अंतरण या कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती या जब तक की पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित रहेगा।

(2) पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने की तिथि से, न्यासी बैंक,–

(क) उन गतिविधियों को बंद कर देगा और संबंधित मामलों का समापन कर देगा जिनके संबंध में पंजीकरण की अनुमति दी गई है;

(ख) इस प्रकार रद्द किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को प्राधिकरण को वापस कर देगा और प्राधिकरण द्वारा निर्देशित ऐसी अन्य एजेंसियों को कथित तथ्य के बारे में सूचित करेगा और सूचना को अपनी वेबसाइट पर और ऐसे अन्य तरीके से प्रसारित करेगा जैसा निर्देशित किया जाए;

(ग) प्राधिकरण द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर किसी भी अन्य निर्देशों को पूरा करेगा और उसके अनुपालन की रिपोर्ट देगा;

(घ) इसके द्वारा उपगत या ग्रहण की गई देनदारी के संबंध में प्रावधान करेगा; और

(ङ) अभिदाताओं के किसी भी अभिलेखों या दस्तावेजों और आस्तियों, जो ऐसे न्यासी बैंक की अभिरक्षा या नियंत्रण में हो, से संबंधित कार्रवाई सहित ऐसी अन्य कार्रवाई, समय सीमा के भीतर और उस तरीके से करेंगा, जैसा कि आवश्यक हो।"

डॉ. दीपक महान्ती, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./740/2023-24]

नोट : पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 को भारत के राजपत्र में असाधारण, भाग III, खंड 4, सं.103, के अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/6, 23 मार्च, 2015 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और उसके बाद के संशोधनों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) (पहला संशोधन) विनियम, 2019 को भारत के राजपत्र में असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 70, के अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/6, 19 फरवरी, 2019 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2024

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (TRUSTEE BANK) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. PFRDA/16/04/06/0016/2017-REG-TB.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clauses (e), (l), (n), (o) and (p) of sub-section (2) thereof of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) Regulations, 2015, namely:-

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) (Amendment) Regulations, 2023.

2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) Regulations, 2015, as amended from time to time (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), the following amendments are made:-

I. In sub-regulation (1) of regulation 2 of the principal regulations,

i. New definition clause (aa) shall be inserted immediately after clause (a) as follows:

"(aa) "auditor" shall have the same meaning as defined under section 141 of the Companies Act, 2013 and includes system auditor.

Explanation.– System auditor means an auditor empaneled with CERT-in or Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), Government of India;"

ii. Clause (c) shall be substituted as follows:

"(c) "compliance officer" means an employee of the trustee bank, designated as such, by its board for monitoring compliance of the provisions of the Act, rules, regulations, guidelines, circulars, directions and instructions issued by the Authority;"

II. Sub-regulation (2) of regulation 2 of the principal regulations shall be deleted;

III. Sub-regulation (2) of regulation 3 of the principal regulations shall be deleted;

IV. Sub-regulation (5) of regulation 3 of the principal regulations shall be substituted as follows:

"(5) An applicant shall pay a non-refundable application fee of rupees ten lakh plus applicable taxes and levies thereon, along with its application to the Authority."

V. Regulation 5 of the principal regulations shall be substituted as follows:

"**5. Disclosure of information.**– The applicant shall submit to the Authority any material changes in the information furnished during pendency of the application, within seven days of occurrence of such changes."

VI. Sub-regulation (1) of regulation 6 of the principal regulations shall be substituted as follows:

"**6. Furnishing of information and clarification.**– (1) The Authority may require the applicant to furnish further information or clarification, for consideration of its application."

VII. Sub-regulation (1) of regulation 7 of the principal regulations shall be substituted as follows:

"**7. Verification of information.**– (1) While processing the application, the Authority may,–

(a) verify the documents, inspect the infrastructure, and resources including technological capabilities which the applicant is required to fulfil; and

(b) seek report from any agency which may have a bearing on the application."

VIII. Sub-regulation (3) of regulation 8 of the principal regulations shall be substituted as follows:

"(3) Before rejecting an application, the Authority shall give a notice to the applicant to rectify the defect(s) in its application within fifteen days of receipt of such notice from the Authority.

Provided that where the Authority is of the *prima facie* opinion that the registration ought not to be granted, it shall communicate the reasons for forming such an opinion and give the applicant an opportunity to explain why its application should be accepted, within fifteen days of the receipt of the communication from the Authority, to enable it to form a final opinion.

Provided further that where an application has been rejected on the grounds of being incorrect, false or misleading in nature or has omitted to disclose material facts, no fresh application for grant of certificate of registration shall be considered for a period of one year, from the date of such rejection."

IX. Clause (a) of sub-regulation (3) of regulation 9 of the principal regulations shall be substituted as follows:

"(a) where the trustee bank proposes to change its status or constitution, it shall obtain prior approval of the Authority.

Explanation.– Change in status or constitution shall include the following,–

(i) amalgamation, demerger, consolidation or any other kind of corporate restructuring under the provisions of the Companies Act, 2013 (13 of 2013) or the provision of any other law for the time being in force or any agreement or arrangement which would have the effect of such corporate restructuring;

(ii) any change in control of the trustee bank.

Explanation.– Control means as defined under section 2(27) of the Companies Act, 2013;and

(iii) any change in the legal status of the trustee bank;"

X. Clause (d) of sub-regulation (3) of regulation 9 of the principal regulations shall be substituted as follows:

"(d) it shall at all times meet the eligibility criteria specified in these regulations and other requirements laid down under the selection process.

For this purpose, the trustee bank shall submit a certificate evidencing compliance with eligibility conditions. Such certificate shall be placed before its board and its observations, if any, along with explanation thereon, shall be submitted to the Authority, within sixty days from the end of the financial year, or within sixty days from the expiry of tenure of its registration;"

XI. Regulation 11 of the principal regulations shall be substituted as follows:

"**11. Registration fee.**– An applicant shall pay a non-refundable registration fee of rupees twenty five lakh plus applicable taxes and levies thereon, to the Authority."

XII. Regulation 12 of the principal regulations shall be substituted as follows:

"**12. Annual fee.**– The trustee bank shall pay annual fee plus applicable taxes and levies thereon, on quarterly basis before the due date, which shall be determined through a bidding process or in such other manner as may be determined by the Authority, at the time of selection process."

XIII. New sub-regulation (1a) shall be inserted immediately after sub-regulation (1) of regulation 13 of the principal regulations as follows:

"(1a) The Authority may invite application seeking registration, ninety days or such other time period, prior to the expiry of the tenure of the Trustee Bank, registered with the Authority."

XIV. Regulation 14 of the principal regulations shall be deleted;

XV. New sub-regulation (9a) shall be inserted immediately after sub-regulation (9) of regulation 16 of the principal regulations as follows:

"(9a) In the event of the trustee bank failing to adhere to the service standards as provided under service level agreement or any guidelines issued by the Authority, whereby any loss or inconvenience is caused to the subscriber, trustee bank shall be liable to compensate the subscriber, in accordance with service level agreement or guidelines issued by the Authority, for this purpose.

Provided that there shall be no requirement of any loss or inconvenience to be proved on the part of the subscriber."

XVI. New sub-regulation (12) shall be inserted immediately after sub-regulation (11) of regulation 16 of the principal regulations as follows:

"(12) The trustee bank shall take all measures necessary for prevention of fraud and develop and implement a fraud prevention and mitigation policy in accordance with the guidelines issued by the Authority, including,–

(a) laying down internal controls to be followed and ensure that such controls are adequate and operating effectively; and

(b) making provision for indemnifying the subscriber for any loss on account of fraud or negligence on the part of the trustee bank, which has been established.

Explanation.– For the purposes of this regulation, the term internal control means the policies and procedures adopted by the trustee bank for ensuring the orderly and efficient conduct of its functions, including prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the records, and the timely preparation and submission of reliable compliance reports."

XVII. Clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 19 of the principal regulations shall be substituted as follows:

"(a) extracts of internal audit report from the independent auditors with respect to the bank accounts of National Pension System Trust, compliance certificates and subscriber complaints reports, on a quarterly basis;"

XVIII. Regulation 20 of the principal regulations shall be substituted as follows:

"**20. Inspection and audit**.– (1) The Authority shall inspect trustee bank at regular intervals as it deems fit.

Notwithstanding the above, it may at any time as it deems fit, undertake directly or through an auditor or its authorized representative, an inspection or audit of the books, accounts, records including the call records and electronic records and documents of the trustee bank, for the purposes as specified under this regulation.

(2) The purposes referred to in sub-regulation (1) may include,–

(a) ascertaining the infrastructural capabilities, systems and procedures;

(b) ensuring that the books of accounts, records including call records and electronic records and documents are being maintained in the manner required under these regulations;

(c) ascertaining whether adequate internal control systems, procedures and safeguards have been established and are being followed by the trustee bank;

(d) ascertaining whether the provisions of the Act, rules or regulations made thereunder or guidelines, circulars, directions and instructions issued by the Authority are being complied with;

(e) inquiring into the complaints received from subscribers, nodal offices, intermediaries or any other person on any matter having a bearing on the activities of the trustee bank; and

(f) inquiring *suo motu* into such matters as may be deemed fit in the interest of subscribers."

XIX. New sub-regulation (3) shall be inserted after sub-regulation (2) of regulation 23 of the principal regulations as follows:

"(3) The report submitted by the authorized person or any documents or information so collected by such person, during the course of inspection or audit, would be admissible in any investigation or inquiry or any other proceedings before the Authority."

XX. Clause (i) of sub-regulation (1) of regulation 26 of the principal regulations shall be substituted as follows:

"(i) any other reason which in the opinion of the Authority warrants suspension or cancellation of the certificate of registration granted;"

XXI. Sub-regulation (3) of regulation 26 of the principal regulations shall be deleted;

XXII. Regulation 27 of the principal regulations shall be substituted as follows:

"**27**. **Surrender of certificate of registration**.– (1) A trustee bank may surrender its certificate of registration by making a request to the Authority.

(2) For consideration of such request, the Authority may require the trustee bank to satisfy the following,–

(a) arrangements made by it for maintenance and preservation of records and other documents required to be maintained under the Act, regulations, guidelines and circulars, at its own cost and expense, to ensure continuity of service to subscribers;

(b) rectifying the defaults and pending actions, if any;

(c) redressal of subscriber grievances; and

(d) any other measures to be taken in the interest of the subscribers.

(3) While considering the request for surrender, the Authority may impose such conditions upon the trustee bank as it deems fit for the protection of interest of the subscribers.

(4) No request for surrender shall be entertained from a trustee bank in respect of which any investigation, inquiry or adjudication has been initiated or is contemplated by the Authority.

(5) No surrender shall be permitted unless the Authority is satisfied that the trustee bank has complied with or has taken steps to comply with the requirements under sub-regulation (2) and other conditions, if any, under sub-regulation (3).

(6) Where the Authority has accepted the request for surrender, it shall cancel the certificate of registration granted to the trustee bank and inform trustee bank within seven days and place such information on its website and also direct the entity to place the information on its website and disseminate the information, in such manner, as may be required."

XXIII. Regulation 28 of the principal regulations shall be substituted as follows:

"**28**. **Effect of suspension or cancellation of certificate**.– (1) On and from the date of suspension of the certificate of registration, the trustee bank shall, where directed,–

(a) cease to transact fresh business under the pension schemes covered under the Act, as the case may be;

(b) take such action in respect of the assets, records, documents or information that may be in the custody or control of the trustee bank, within the time limit and in the manner as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the Authority;

(c) transfer at its own cost the assets, records, documents or information that are in its custody or control to another trustee bank in the form and manner as may be directed by the Authority;

(d) the trustee bank shall at its cost and expense provide all the necessary support in ensuring smooth transfer of all the assets under its management where required by the National Pension System Trust or the Authority, and make such public announcement or disclosure as may be conducive to subscriber's interest, regarding such transfer of assets. It shall also ensure that the transfer of all the relevant documents, record or information is made in accordance with the directions issued by the Authority;

(e) the transfer of such assets shall be undertaken in accordance with the guidelines or instructions that may be issued by the Authority; and

(f) the trustee bank shall be subject to the directions of the Authority until all such transfers or actions are completed or until, the certificate of registration remains suspended.

(2) On and from the date of cancellation of the certificate of registration, the trustee bank shall,–

(a) cease to carry on and wind up its affairs *qua* the activities in respect of which registration has been granted;

(b) return the certificate of registration so cancelled to the Authority and inform such other agencies, as may be directed by the Authority of the said fact and disseminate the information on its website and in such other manner as may be directed;

(c) carry out any other directions within the time limits given by the Authority, and report compliance of the same;

(d) make provisions as regards liability incurred or assumed by it; and

(e) take such other action including the action relating to any records or documents and assets of the subscribers that may be in the custody or control of such trustee bank, within the time limit and in the manner, as may be required."

Dr. DEEPAK MOHANTY, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./740/2023-24]

Note : The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) Regulations, 2015 were published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/6, on the 23rd March, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 103, and were subsequently amended by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) (First Amendment) Regulations, 2019 published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/6, on the 19th February, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 70.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.02.10 15:29:34 +05'30'